राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ4(ई)वरिष्ठता / कनि0 लेखा0 / 2024 / अलेसे–III 3127 दिनांक :– 03/04/2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में नियमित रूप से कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची टीएसपी क्षेत्र की निम्नानुसार प्रसारित की जा रही है। यदि किसी कनिष्ठ लेखाकार को वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22.04.2024 तक अपना लिखित अभ्यावेदन / आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का सन्दर्भ अंकित कर संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ संलग्न करते हुए डाक द्वारा एवं विभागीय ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov पर प्रेषित कर सकते हैं। यदि उपरोक्त तिथि तक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को अंतिम मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन / आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
उक्त वरिष्ठता सूची विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों एवं लम्बित प्रकरणों में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार परिवर्तनशील रहेगी।

क्रम सं.	लिंक नं.	मेरिट / बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	वर्ग	वि0 वि0
1	10514	1316/2013	खुशवंत पाटीदार	05.04.92		बन्द लिफाफा
2	10522	1343/2013	योगेश चन्द्र श्रीमाली	04.07.83		आस्थगित
3	10352	3593/2013	शंकर लाल	01.08.84	ST	
4	10310	3600/2013	लीला तीरगर	10.08.90	SC	
5	43425	3627/2013	मुकेश कुमार	09.08.92	ST	

<u>नोटः–</u>

1. जिन लेखाकर्मियों के नाम के आगे विशेष विवरण में बन्द लिफाफा, आस्थगित, पदोन्नति परित्याग अंकित है, वे अभी कनि0 लेखाकार संवर्ग में ही हैं। बन्द लिफाफा प्रकरणों में विभागीय जॉच के परिणाम के अनुसार तथा आस्थगित प्रकरणों में डीपीसी हेतु वांछित अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन / संतान घोषणा पत्र) पूर्ण होने पर रिव्यू डीपीसी के निर्णयानुसार वरिष्ठता अंतिम रूप से निर्धारण योग्य होगी।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनि0 लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 के रिशफल परिणाम में कनि0 लेखाकार से तह0 राजस्व लेखाकार पद पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले 28 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों द्वारा मान0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से स्थगन प्राप्त किए जाने के कारण उनकी वरिष्ठता मान0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जारी अन्तिम निर्णय के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– F4 (ई)वरिष्ठता / कनि0 लेखा0 / 2024 / अलेसे III/ 3127 दिनांक :– 03/04/2024

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (कार्मिक–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष..
6. श्री..................................कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ....।
7. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I / कार्मिक–II / कार्मिक–III) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)